

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2015/भाद्र 2, 1937

No. 1791]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2015/BHADRA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015

(आयकर)

का.आ. 2298(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपावाक्य-(22ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के तीन निर्धारण वर्षों के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजन हेतु समाचारों के संग्रहण और संवितरण मात्र के लिए भारत में स्थापित समाचार एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन है कि यह समाचार एजेंसी अपनी आय का प्रयोग या संग्रहण समाचार के संकलन एवं वितरण मात्र के लिए प्रयोग करेगी और इसे यह किसी भी प्रकार से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगी।

[अधिसूचना सं. 72/2015/फा. सं. 165/05/2014-(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2015

(Income Tax)

S.O. 2298(E).—In exercise of the powers conferred by the clause (22B) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Press Trust of India Limited, New Delhi as a news agency set up in India solely for collection and distribution of news, for the purpose of the said clause for three assessment years 2016-17 to 2018-19.

2. The notification is subject to the condition that the news agency applies its income or accumulates it for application solely for collection and distribution of news and does not distribute its income in any manner to its members.

[Notification No. 72/2015/F. No. 165/5/2014-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015

[काला धन (अघोषित आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण]

का.आ. 2299(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा-(4) उपखंड (ख), काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 6 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि अपर आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो उक्त काला धन (अघोषित आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय वर्ग या मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में उन निर्धारण अधिकारियों के उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जिसके लिए ऐसे अपर आयकर आयुक्त, या संयुक्त आयकर आयुक्त, को उक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

[अधिसूचना सं. 73/2015/फा. सं. 187/13/2015-(आईटीए-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2015

[Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax]

S.O. 2299(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with section 6 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Additional Commissioners of Income-tax or the Joint Commissioners of Income-tax, as the case may be, shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officers under the said Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, in respect of territorial areas or persons or classes of persons or incomes or classes of incomes or cases or classes of cases, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax have been authorised by the Principal Chief Commissioner of Income-tax or the Chief Commissioner of Income-tax or the Director General of Income-tax or the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax in pursuance to the directions of the Board under sub-section (1) and (2) of section 120 of the said Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 73/2015/F. No. 187/13/2015 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director